न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

RCMS No.–2018/00085

अपील संख्याः 49/2018

भगवान सहाय पुत्र स्व. रेवडराम शर्मा जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलार्थी

बनाम

1. कल्याण सहाय पुत्र रामप्रताप जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. रामजीलाल पुत्र रामप्रताप जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...रेस्पाडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार तहसील जमवारामगढ दिनांक 22.06.2018 प्रकरण संख्या 15/2017 निर्णय दिनांक 22.06.2018 तहसीलदार जमवारामगढ

—

उपस्थितः–
1. श्री कान्ता प्रसाद शर्मा अपीलांट की ओर से।
2. श्री संदीप शर्मा, अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या एक एवं दो की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 03.09.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा सीमाज्ञान भू अभिलेख/7/131 दिनांक 19.04.2017 के विरूद्व पूर्व में निर्णित अपील संख्या 128/2017 में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 20.07.2017 की पालना में तहसीलदार, जमवारामगढ द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज कर प्रकरण संख्या 15/2017 आदेश दिनांक 22.06.2018 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 22.06.2018 से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.08.2018 को मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। नोटिस जारी करने पर रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री संदीप शर्मा उपस्थित आये तथा रेस्पाडेन्ट संख्या 3 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि दिनांक 19.04.2017 को कल्याण सहाय वगैराह द्वारा एक प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान क्रमांक/भू अभि./7/131 दिनांक 19.04.2017 ग्राम डांगरवाडा

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

खसरा नंबर. 159 रकबा 35 बीघा की सीमा ज्ञान के संबंध में दिया उसके निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने दिनांक 24.05.2017 को माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। उक्त अपील को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 20.07.2017 द्वारा रिमाण्ड करते हुए तहसीलदार जमवारामगढ को प्रकरण में उभयपक्षकारान की सुनवाई करते हुए विधिसम्मत सीमा ज्ञान के आदेश दिये। उक्त आदेश के पश्चात अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण रिमाण्ड के बाद आपके समक्ष विचाराधीन है एवं उसमें यह भी उल्लेख किया कि विवादित खसरे से लगती हुई प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसका सीमा ज्ञान अपीलांट वगैराह ने दिनांक 17.10.1995 को करा रखी है। जिसके अनुसार भूमियो पर काबिज है। अपीलांट द्वारा रेस्पाडेन्ट वगैराह की भूमियो के सीमा ज्ञान के साथ–साथ अपीलांट की भूमि की पत्थरगढी साथ में करवाये जाने का निवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष किया। जिस पर तहसीलदार महोदय द्वारा श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय से पत्थरगढी के आदेश लेकर आने के लिए कहा गया। अपीलांट ने दिनांक 07.12.2017 को एक प्रार्थना पत्र रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 को पक्षकार बनाते हुए धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बाबत सीमाज्ञान पत्थरगढी प्रस्तुत कर दिया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 10.07.2018 को खसरा नंबर 157 व 158 भी शामिल किए जाने का आदेश दिया गया एवं उक्त पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र जो स्वीकार किया गया है। प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 के खेत एडज्योईनिंग है जिससे खसरा नंबर 159 का पहली बार सीम ज्ञान के लिए अपीलांट की सीमा ज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी कराये बिना नहीं करायी जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीमा ज्ञान के आदेश दिनांक 07.10.1995 की सीमा ज्ञान की कार्यवाही को दृष्टिओझल करते हुए खसरा नंबर 159 के सीमा ज्ञान के आदेश पारित कर दिये। दौराने बहस वकील अपीलांट द्वारा कथन किया कि तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश दिनांक 22.06.2018 व उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के आदेश दिनांक 22. 06.2018 व 10.07.2018 को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार जमवारामगढ को पत्थरगढी करने के आदेश दिये जावे। अपील अपीलांट को निस्तारित किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ने अधिवक्ता अपीलांट के कथनो पर सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के आदेश दिनांक 22.06.2018 के आधार पर सीमा ज्ञान व पत्थरगढी कराये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि पक्षकारान की सहमति होने से प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित है।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

हमने विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाता का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलांट की भूमि खसरा नंबर 143, 142, 142मि., 144/755, 128/746, 131/1 157, 158 स्थित वाके ग्राम डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ के पत्थरगढी करवाये जाने के पश्चात खसरा नंबर 159 रकबा 35 बीघा का सीमा ज्ञान करवाया जावे। रेस्पाडेन्ट की भूमि के सीमा ज्ञान के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दिनांक 22.06.2018 को पारित किये गये जो कि अपीलाधीन निर्णय है। अपीलांट की भूमि के पत्थरगढी के संबंध उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ द्वारा दिनांक 22.06.2018 व 10.07.2018 को आदेश पारित हो चुके है। इस संबंध में वकील रेस्पाडेन्ट व अपीलांट द्वारा उक्त दोनो आदेशो को मध्यनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को पत्थरगढी किये जाने की सहमति व्यक्त की है।

प्रकरण में पक्षकारान सहमत होने से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार जाकर प्रकरण तहसीलदार जमवारामगढ को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार जमवारामगढ के आदेश दिनांक 22.06.2018 व उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के आदेश दिनांक 22.06.2018 व 10.07.2018 में वर्णित भूमि वाके ग्राम डांगरवाडा, तहसील जमवारामगढ की सीमा चिन्हित करते हुए पक्षकारान/खातेदारान की उपस्थिति में पत्थरगढी की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(इकबाल खान)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर